पत्र सं०– वि॰ प्रा॰ (I) मु० स्था०–08 / 2021–

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

/पटना, दिनांक–

विषय :– **विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत गठित Project Management Unit (PMU) के विस्तारित अवधि एक (01) वर्ष (दिनांक–12.05.2025 से 11.05.2026 तक) के लिए कुल अनुमानित व्यय (मार्जिन सहित) कुल रू॰ 1,78,02,660.00 (एक करोड़ अठहत्तर लाख दो हजार छः सौ साठ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रू० 99,00,000.00 (निन्यानवे लाख रूपये) मात्र बेल्ट्रॉन, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक–5209, दिनांक– 15.10.2024 के द्वारा विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में स्थापित Project Management Unit (PMU) के विस्तारित अवधि एक वर्ष (दिनांक–12.05.2025 से 11.05.2026) तक के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड का मार्जिन सहित होने वाले कुल व्यय रू॰ 1,78,02,660.00 (एक करोड़ अठहत्तर लाख दो हजार छः सौ साठ रूपये) मात्र का उपलब्ध कराये गये अधियाचना के आधार पर दिनांक–14.05.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में कुल रू॰ 1,78,02,660.00 (एक करोड़ अठहत्तर लाख दो हजार छः सौ साठ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रू० 99,00,000.00 (निन्यानवे लाख रूपये) मात्र बेल्ट्रॉन, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग सं०–43 के अन्तर्गत राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष –"2203–तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष –105–बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, उपशीर्ष –0107– राजकीय पोलिटेकनिक संस्थाओं में सेन्टर ऑफ ऐक्सेलेंस–सात निश्चय–2" के अधीन, विषयशीर्ष 28 03– कन्सल्टेन्सी में उपबंधित राशि से की जाएगी, जिसका विपत्र कोड 43–2203001050107 है।

3. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक (त०), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन (निर्माण भवन), बेली रोड, पटना से नियमानुसार की जायेगी तथा राशि CFMS के माध्यम से बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, पटना के नाम से संचालित पी०एल० खाता में अंतरित किया जायेगा, जिसका विवरणी निम्नवत् है :–

(a) Deposite Account Number- PBBPLA009

(b) Receipt HoA - 84480012000150001

(c) Payment HoA - 84480012000150002

5. निकासी की जाने वाली राशि का व्यय प्रभावी वित्तीय नियमों एवं अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा।

6. विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, विभाग के लिए संसूचित योजना उदव्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि., दिनांक–03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०–वि॰ प्रा॰ (I) मु० स्था० –08/2021 के पृ० 91/टि० पर प्राप्त है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि० (2), दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश

ह०/–

(अहमद महमुद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– वि॰ प्रा॰ (I) मु० स्था० –08/2021– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– वि॰ प्रा॰ (I) मु० स्था० –08/2021– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वश्वरैया भवन (निर्माण भवन), बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– वि॰ प्रा॰ (I) मु० स्था० –08/2021– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (बेल्ट्रॉन), बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– वि॰ प्रा॰ (I) मु० स्था० –08/2021– 2705 /पटना, दिनांक– 28.05.25

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (M)/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव